प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 27 जून, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राधेश्याम पुत्र श्री अमेरिका, निवासी जनपद-श्रावस्ती की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-30070/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-05.09.2023), दिनांक-04.10.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राधेश्याम पुत्र श्री अमेरिका, जो ग्राम-अमकोलवा, थाना-इकौना, जनपद-श्रावस्ती का निवासी है। दिनांक 27.04.2009 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपने साढू की 12 वर्ष की पुत्री के साथ बलात्कार किया तथा अपराध खुल जाने के डर से दुपट्टा से गला दबाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-153/2009 में भा0द0वि0 की धारा-302, 376(जी) के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय-द्वितीय, श्रावस्ती के आदेश दिनांक 02.12.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। बन्दी द्वारा दिनांक 03.06.2023 तक अपरिहार 14 वर्ष, 00 माह, 23 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 11 माह, 14 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध नाबालिक लड़की के साथ किया गया है जो बहुत गम्भीर व दुस्साहसिक अपराध की श्रेणी में होने व आपराधिक मानसिकता से इन्कार नही किये जाने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध कारित करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, दोनों पक्षों के मध्य रंजिश को देखते हुए बन्दी द्वारा वादी/गवाह को डराया धमकाया जा सकता है एवं बन्दी द्वारा किसी घटना को कारित करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 27.04.2009 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपने साढू की 12 वर्ष की पुत्री के साथ बलात्कार किया तथा अपराध खुल जाने के डर से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

दुपट्टा से गला दबाकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा कारित अपराध बहुत गम्भीर व दुस्साहसिक अपराध की श्रेणी में होने व आपराधिक मानसिकता से इन्कार नही किये जाने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध कारित किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राधेश्याम पुत्र श्री अमेरिका को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राधेश्याम (बन्दी संख्या-187/2019) पुत्र श्री अमेरिका, निवासी जनपद- श्रावस्ती के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-663/2025/3779(1)/22-2-2023 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-663/2025/3779/22-2-2023-17(1360)/2023

दिनांक 27 जून, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राधेश्याम पुत्र श्री अमेरिका, जो ग्राम-अमकोलवा, थाना-इकौना, जनपद-श्रावस्ती का निवासी है। दिनांक 27.04.2009 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपने साढू की 12 वर्ष की पुत्री के साथ बलात्कार किया तथा अपराध खुल जाने के डर से दुपट्टा से गला दबाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-153/2009 में भा0द0वि0 की धारा-302, 376(जी) के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय-द्वितीय, श्रावस्ती के आदेश दिनांक 02.12.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। बन्दी द्वारा दिनांक 03.06.2023 तक अपरिहार 14 वर्ष, 00 माह, 23 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 11 माह, 14 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध नाबालिक लड़की के साथ किया गया है जो बहुत गम्भीर व दुस्साहसिक अपराध की श्रेणी में होने व आपराधिक मानसिकता से इन्कार नही किये जाने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध कारित करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, दोनों पक्षों के मध्य रंजिश को देखते हुए बन्दी द्वारा वादी/गवाह को डराया धमकाया जा सकता है एवं बन्दी द्वारा किसी घटना को कारित करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 27.04.2009 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपने साढू की 12 वर्ष की पुत्री के साथ बलात्कार किया तथा अपराध खुल जाने के डर से दुपट्टा से गला दबाकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा कारित अपराध बहुत गम्भीर व दुस्साहसिक अपराध की श्रेणी में होने व आपराधिक मानसिकता से इन्कार नही किये जाने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध कारित किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राधेश्याम पुत्र श्री अमेरिका को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in